

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरण्यस

प्रकरण सं० : 25/2021

1. मदन कुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।

:- वादी

ब ना ग

1. लीलाधर पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।
2. संजीव कुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।
3. सरोज पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।
4. पुष्पा पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।
- 4ए ओ० वी० सी० बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 23-02-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मोजा मोठसरा के खाता सं० 79/79 के खसरा सं० 83 की 4.6290 है, खसरा सं० 98 की 4.0220 है, खसरा सं० 100 की 1.9850 है, खसरा सं० 256 की 0.1140 है, कुल 10.7500 है वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं० 1 के पिता नानूराम की खातेदारी हुआ करती थी। नानूराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1, 3 व 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 2 व 4ए को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं० 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।



साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू मदन कुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत

मोठसरां प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोठसरां खाता सं0 79/79 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मोठसरा संवत 2049 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मोठसरां के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 1 में वारिसप्रमाण पत्र में लीलाधर के दो पुत्र मदन कुमार व संजीव कुमार व दो पुत्री सरोज व पुष्पा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा मोठसरा के खाता सं0 79/79 के खसरा सं0 83 की 4.6290है0, खसरा सं0 98 की 4.0220है0, खसरा सं0 100 की 1.9850है0, खसरा सं0 256 की 0.1140है0, कुल 10.7500है0 बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। मैं से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

#### कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मोठसरा के खाता सं0 79/79 के खसरा सं0 83 की 4.6290है0, खसरा सं0 98 की 4.0220है0, खसरा सं0 100 की 1.9850है0, खसरा सं0 256 की 0.1140है0, कुल 10.7500है0 बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। मैं से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी मदन कुमार व प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर, प्रतिवादी सं0 2 संजीव कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-02-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुद न्यायालय में सुनाया गया।



  
सहायक सत्यनारायण  
(फास्ट ट्रेक) भादरा  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठरीन अधीकरी : श्री सत्यनारायण आरएणएस  
प्रकरण सं० : 25/2021

1. मदन कुमर पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।

— वादी

ब न म

1. लीलाधर पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।
2. संजीव कुमर पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।
3. सरोज पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।
4. पुष्पा पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी मोठसरां त० भादरा।
- 4ए ओ० बी० सी० बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
- 5 राजस्थान सरकार जरिए तहरीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद गुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मोठसरा के खाता सं० 79/79 के खसरा सं० 83 की 4.6290है०, खसरा सं० 98 की 4.0220है०, खसरा सं० 100 की 1.9850है०, खसरा सं० 256 की 0.1140है०, कुल 10.7500है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी मदन कुमर व प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर, प्रतिवादी सं० 2 संजीव कुमर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्वी डिक्री आज दिनांक 23-02-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



28

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़